[2020] 2 एस. सी. आर 727

पृथ्वी राज चौहान

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2018 की लिखित याचिका (सी) संख्या 1015)

10 फरवरी, 2020

[अरुण मिश्रा, वाइन सरन और

एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम)

अत्याचार) अधिनियम, 1989। 18 ए-याचिकाकर्ताओं को चुनौती। 18 ए जिसे डॉ. सुभाष काशीनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण अधिनियमित किया गया था, जिसे [2018] 4 एस. सी. आर. 877 के रूप में रिपोर्ट किया गया था, मुख्य रूप से निर्देश संख्या के कारण। (iii) से (v) पैरा 83 में निहित अन्य बातों के साथ-साथ एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना, आवश्यकता लोक सेवक और अन्य मामलों में एसएसपी की गिरफ्तारी से संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त करना-भारत संघ

दायर समीक्षा याचिकाएँ-अनुमत-निर्देश संख्या। (iii) से (v) याद किया गया-आयोजितः अरुण मिश्रा और विनीत सरन, जेजे के अनुसार। - एस में किए गए प्रावधान। 18 ए को अकादमिक उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि उन्हें डॉ. सुभाष काशीनाथ मामले में जारी किए गए जनादेश की देखभाल के लिए अधिनियमित किया गया था, जो अब प्रचलित नहीं है।

ललिता कुमारी मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार परिस्थितियाँ-इसके अलावा, धाराओं के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित। 438 , सी. आर. पी. सी., यह 1989 अधिनियम के तहत मामलों पर लागू नहीं होगा -

हालाँकि, यदि शिकायत 1989 अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनती है, तो एस द्वारा बनाया गया प्रतिबंध। 18 & 18 ए (आई) लागू नहीं होगा-असाधारण मामलों में, शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है s.482, निपटारा किए गए मापदंडों पर प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मामलों को रद्द करने के लिए सी. आर. पी. सी., जैसा कि समीक्षा याचिकाओं में देखा गया है-प्रति एस. रवींद्र भट, जे। (पूरक) अधिनियम के प्रावधानों में कोई भी हस्तक्षेप, विशेष रूप से प्रारंभिक जांच को छोड़कर संशोधनों के संबंध में, या ऐसे प्रावधान जो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी लोक सेवकों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिबंध को हटा देते हैं, एक सकारात्मक कदम नहीं होगा-विभिन्न रिपोर्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आधिकारिक डेटा सहित, एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं-किसी भी आवेदन पर विचार करते समय।

गिरफ्तारी-पूर्व जमानत, उच्च न्यायालय को दो हितों को संतुलित करना हैः अर्थात।

कि शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाता है कि अधिकार क्षेत्र को उस यू/में परिवर्तित किया जाए s.438, सी. आर. पी. सी., लेकिन इसका उपयोग संयम से किया जाता है और ऐसे आदेश बहुत ही असाधारण मामलों में दिए जाते हैं जहां कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं किया जाता है।

जैसा कि एफ. आई. आर. में दिखाया गया है-इसके अलावा, यदि ऐसे आदेश उन वर्गों के मामलों में नहीं दिए जाते हैं, तो परिणाम अनिवार्य रूप से न्याय की विफलता या कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018-भारत का संविधान-कला। 14 , 15 , 17 , 21 , 23 & 24 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस. एस. 438 और 482-अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955

नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955।

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः पेर अरुण मिश्रा, जे. (अपने और वाइन के लिए)

सरन, जे.)

धारा 18 ए में निहित प्रावधानों के संबंध में, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच के संबंध में, सामान्य

डॉ. सुभाष काशीनाथ के मामले में जारी किए गए निर्देश (iii) और (iv) पहले ही वापस ले लिए गए हैं। प्रारंभिक जाँच की अनुमति है।

केवल कानून द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में

ललिता कुमारी मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1.10.2019 पर समीक्षा याचिकाओं में पारित आदेश में समझाया गया है, ठीक रहेगी और धारा 18 ए के संशोधित प्रावधानों की व्याख्या तदनुसार की जानी चाहिए। प्रावधान

जो धारा 18 ए में बनाए गए हैं, उन्हें अकादमिक उपयोग के लिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उन्हें डॉ. सुभाष काशीनाथ में जारी किए गए जनादेश का ध्यान रखने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो अब प्रचलित नहीं है। प्रावधान थे -

अग्रिम जमानत के संबंध में अधिनियम की धारा 18 में पहले से ही। धारा 438 Cr.PC के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में,

यह 1989 के अधिनियम के तहत मामलों पर लागू नहीं होगा। हालाँकि, यदि शिकायत प्रयोज्यता के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाती है 1989 के अधिनियम के प्रावधानों में से धारा 18 और 18 ए (आई) द्वारा बनाई गई रोक लागू नहीं होगी। समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय लेते समय इस पहलू को स्पष्ट किया गया है। अदालत, असाधारण मामलों में, मामलों को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.PC के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

जैसा कि समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय लेते समय पहले ही देखा जा चुका है, तय किए गए मापदंडों पर प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए। के लिए चुनौती

प्रावधानों को अकादमिक बना दिया गया है। [पारस 8-11] [750 एच; 751-ए-एच] पृथ्वी राज चौहान बनाम।

भारत और अन्य का संघ

डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम राज्य का महाराष्ट्र और अन्र. (2018) 6 एससीसी 454: [2018] 4 एससीआर 877; एम. पी. और ए. एन. आर. का राज्य वी. राम किशना बलोथिया और अन्र। (1995) 3 एस. सी. सी. 221 [1995] 1 एस. सी. आर. 897; विलास पांडुरंग पवार और अनार। वी. महाराष्ट्र राज्य और

ओआरएस। (2012) 8 एससीसी 795: [2012] 8 एससीआर 270; शकुंतला देवी बनाम। बलजिंदर सिंह (2014) 15 एस. सी. सी. 521; ललिता

कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013] 14 एस. सी. आर. 713 संदर्भित है। पेर
एस. रवींद्र भाट, जे.

1.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों में कोई भी हस्तक्षेप,

विशेष रूप से प्रारंभिक जांच को छोड़कर संशोधनों के संबंध में, या ऐसे प्रावधान जो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी लोक सेवकों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिबंध को हटा देते हैं, एक सकारात्मक कदम नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी विभिन्न रिपोर्ट, सिफारिशें और आधिकारिक आंकड़े एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 में अपराध के मामले 40401 दर्ज किए गए थे; 2015 में अपराध के मामले 38670 दर्ज किए गए थे और 2016 में अपराध के मामले 40801 दर्ज किए गए थे।

उक्त 2016 की रिपोर्ट के एक विश्लेषण के अनुसार, अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ 422,799 और 81,332 अपराध हुए हैं।

2006 और 2016 के बीच अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए थे। इन तथ्यों को उन अदालतों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जिन्हें अधिनियम के तहत अपराधों का प्रयास करना और उनसे निपटना है। यह महत्वपूर्ण है कि खुद को याद दिलाया जाए कि जबकि कभी-कभी (शायद ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में) झूठे आरोप लगाए जाते हैं, वे आवश्यक रूप से इन उत्पीड़ित वर्गों के सदस्यों के खिलाफ प्रचलित और व्यापक सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। उल्लेखनीय है कि 2016 के संशोधन में, 'अत्याचार' की विस्तारित परिभाषा में, हानिकारक प्रथाओं (धारा 3 के तहत) को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें अखाद्य पदार्थ को जबरन खाना, घरों के पास या ऐसे समुदायों के सदस्यों के पड़ोस में मल छोड़ना और कई अन्य प्रकार के अपमान शामिल हैं, जिनके अधीन ऐसे अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्य होते हैं। ये सभी विचार याचिकाकर्ताओं की इस चिंता से कहीं अधिक हैं कि निर्दोष व्यक्तियों को जांच और कानूनी कार्यवाही, [2020] 2 एस. सी. आर. की मनमानी प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा।

प्रस्तावना में, और अधिनियम जैसे क़ानून बनाए गए हैं। ये सामाजिक-बल्कि सामूहिक संकल्प को रेखांकित करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि सभी मनुष्यों को मनुष्यों के रूप में माना जाए, कि उनकी जन्मजात प्रतिभा को समान अवसरों के माध्यम से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए और उनमें से प्रत्येक अपने सपनों का पीछा करने में निडर हो। [पैरा 20,21] [761-सी-एच]

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ [1992] सप्लीमेंट। 1 एससीआर 454; रघुनाथराव गणपतराव बनाम। भारत संघ

[1993] 1 एससीआर 480; नंदिनी सुंदर बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2011) 7 एससीसी 457; दलित मानवाधिकार बनाम।

प्रथवी राज चौहान बनाम। भारत और अन्य का संघ

भारत संघ (2017) 2 एससीसी 432: [2016] 9 एससीआर 122;

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य

& ओआरएस। (2018) 4 एससीसी 454: [2018] 4 एससीआर 877; संघ

भारत का वी। महाराष्ट्र राज्य 2019 (13) स्केल 280

- संदर्भित किया गया।

गुरु ग्रंथ साहब पी। 83 ; बी. शिव रावः का फ्रेमिंग

भारत का संविधान Vol.III, पृष्ठ 510 (1968); रिपोर्ट

अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम पर

(इस पर पहुँचा जा सकता हैः //एन. आर. सी. ठीक है। इन/प्रकाशन/अन्य 15 दिसंबर, 2019 को 08 बजे प्रकाशनः 27 घंटे);

रिपोर्ट, सिफारिशें और आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एच. टी. पी.: //एन. सी. आर. बी. गव. में /

स्टेट प्रकाशन/सी. आई. आई./सी. आई. आई. 2016/पी. डी. एफ. एस./तालिका% 207A.1। पीडीएफ

जिनके विरुद्ध अपराध से संबंधित आँकड़े हैं

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य

जनसंख्या); इंडियास्पेंड (HTTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. भारत खर्च करें। कॉम /

एक दशक में दलितों के खिलाफ अपराध की दर में 746,746/) की वृद्धि हुई।

मामला कानून संदर्भ

अरुण मिश्रा और विनीत सरन के निर्णय में, जे. जे.

[2018] 4 एससीआर 877

संदर्भित किया गया है

पैरा

2

[1995] 1 एससीआर 897

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

[2012] 8 एससीआर 270

संदर्भित किया गया है

पैरा

6

(2014) 15 एस. सी. सी. 521

संदर्भित किया गया है

पैरा

7

[2013] 14 एससीआर 713

पैरा

8

संदर्भित किया गया है

एस. रवींद्र भट के निर्णय में, जे.

[1992] पूरक। 1 एससीआर 454

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 एससीआर 480

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

(2011) 7 एस. सी. सी. 457

पैरा

11

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा

14 [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 4 एससीआर 877

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

2019 (1) स्केल 280

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

1015 2018 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

2018 की लिखित याचिका (सी) संख्या 1016।

के. के. वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, सॉलिसिटर

श्री एड. , सुश्री श्रद्धा देशमुख, अंकुर तलवार, राज बहादुर यादव, शिव मंगल शर्मा, श्रीमती अनिल कटियार, मिथलेश कुमार सिंह, रुद्र विक्रम सिंह, परमानंद गौर, श्रीमती बंदना सिंह, क्षितिज मुद्गल, एकनाथ बंसल, अखिल शर्मा, के. के. एल. गौतम, ए. के. सुमन, पी. एस. नेरवाल, भारत राम, राहुल मोहोद, वरुण मुद्गल, आर. आर. बाग, संजीव मल्होत्रा, मनोज के. मिश्रा, उमेश दुबे, ज्योति मिश्रा, सुकुमार, निशांत गौतम, वर्धमान कौशिक, सुश्री प्रिया शर्मा, सुश्री सरिता देवी, सुश्री ममता रानी, प्रभु दयाल तिवारी, हितेश कुमार शर्मा,

सुश्री सावती गेरवाल, कृष्णा कपूर, सुश्री शशि किरण, सतीश चंद्र, अर्जुन सैनी, सुश्री पूजा धर, सुश्री गायत्री वर्मा, सुरतांज्या भारद्वाज, अरविंद कुमार शुक्ला, सुश्री रीतू शर्मा, निहाल अहमद, कुणाल यादव, सुश्री नीना शुक्ला, आलोक शुक्ला, मनोज गोरकेला, सुश्री हेमलता खरायत, राम श्रीवास्तव, संदीप कुमार सिंह (मेसर्स के लिए)। गोरकेला विधि कार्यालय), के. परी वेंधन, नीलेश उके, शबरीश सुब्रमण्यन, प्रभु

रामसुब्रमण्यन, वाई. विलियम विनोथ कुमार, विष्णु उन्नीकृष्णन, वाडेकर, पारस नाथ सिंह, अविजीत भट्टाचार्जी, सुश्री उपमा श्रीवास्तव, अजय कुमार घोष, अभय कांत मिश्रा, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, प्रकाश शर्मा, अनुज सक्सेना, अरूप बनर्जी, मोहम्मद। नावेद,

सुशील तोमर, बलराज दीवान, समरहर सिंह, कुमार परिमल, सुश्री शशि किरण, फ़ुज़ैल अहमद अयूबी, वरिंदर कुमार शर्मा, अनिलेंद्र पांडे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

ए. एच. वी. राज चौहान बनाम भारत और अन्य का संघ

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे अरुण मिश्रा, जे. *

1. याचिकाकर्ताओं ने तरीके से जोड़े गए प्रावधानों पर सवाल उठाया है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 18ए को समाप्त करना। अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम)। धारा 18 और साथ ही

18ए पर, यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" 18. संहिता की धारा 438 अपराध करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

अधिनियम के तहत एक अपराध। - संहिता की धारा 438 में कुछ भी नहीं

इस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू होगा।

किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट; या (ख) जाँच अधिकारी को, यदि आवश्यक हो, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है, और

इस अधिनियम या संहिता के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अलावा अन्य

लागू होगा। (2) संहिता की धारा 438 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे, किसी भी निर्णय या आदेश के बावजूद या

किसी भी न्यायालय का निर्देश।

2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम मामले में इस न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए धारा 18ए अधिनियमित की गई है। द.

महाराष्ट्र और अन्र. , (2018) 6 एस. सी. सी. 454, जिसमें निम्नलिखित

जारी किए गए थे:

" 83. हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं: (i) वर्तमान मामले में कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रक्रिया का दुरुपयोग है

अदालत और रद्द कर दिए जाते हैं।

((ii) अग्रिम जमानत देने के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो अत्याचार अधिनियम के तहत मामले या जहाँ न्यायिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया पाई जाती है

दुर्भावनापूर्ण लगता है। हम इस दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं

गुजरात उच्च न्यायालय ने पंकज डी. सुथार (ऊपर) और डॉ. एन. टी.

देसाई (ऊपर) और बालोथिया में इस न्यायालय के निर्णयों को स्पष्ट करें।

(ऊपर) और मंजू देवी (ऊपर);

तेः अरुण मिश्रा, जे. (अपने और विनीत सरन, जे.) द्वारा दिया गया निर्णय।

यह पता लगाने के लिए कि क्या आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत एक मामला बनाते हैं और क्या आरोप तुच्छ या प्रेरित नहीं हैं, संबंधित डीएसपी द्वारा संचालित किया जा सकता है। (v) निर्देशों (iii) और (iv) का कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ अवमानना के रूप में कार्रवाई योग्य होगा।

उपरोक्त दिशाएँ संभावित हैं।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने डॉ. सुभाष काशीनाथ (ऊपर) में उल्लेख किया है कि 1989 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। संशोधन का दुरुपयोग मनमाना, अन्यायपूर्ण, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। धारा 438 Cr.PC के तहत अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती थी। पूर्व जांच और उचित जांच आवश्यक है। अधिकाँश

अनुचित उत्पीड़न को रोकने के लिए 1989 के अधिनियम के तहत सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। इस न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के प्रावधान को रद्द कर दिया है।

1989 गिराए जाने के लायक है।

4. बार में यह विवादित नहीं है कि 1989 के अधिनियम में धारा 18 ए के प्रावधानों को उनके द्वारा पारित निर्णय के कारण अधिनियमित किया गया था।

डॉ. सुभाष काशीनाथ के मामले (उपर्युक्त) में यह न्यायालय मुख्य रूप से पैरा 83 में निहित निर्देश संख्या (iii) से (v) के कारण है। भारत संघ ने समीक्षा याचिकाएं दायर की थीं और उन्हें अनुमति दी गई है और निर्देश संख्या (iii) से (v) को वापस ले लिया गया है। इस प्रकार, समीक्षा याचिकाओं में पारित निर्णय को देखते हुए, इस मामले को अकादमिक महत्व दिया गया है

जैसा कि हमने डॉ. सुभाष काशीनाथ (उपरोक्त) के मामले के निर्णय से पहले प्रचलित विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रचलित स्थिति को बहाल कर दिया था। हम निर्णय पर बोझ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि 1.10.2019 ATHVI राज चौहान बनाम पर समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय लेते समय तथ्यों और कारणों को विस्तार से सौंपा गया है।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]नक्काशीदार धारा 18 ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता है। सुरक्षात्मक भेदभाव हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता है हमने समीक्षा याचिकाओं में विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है, जबकि वे निम्नानुसार हैं:

" 36. ऊपर वर्णित कानूनी चर्चा के आलोक में सिद्धांत रूप में, हम पैराग्राफ 83 में जारी निर्देशों का विज्ञापन करते हैं। दिशा सं। (iii) और (iv) और परिणामी निर्देश संख्या (v) की समीक्षा/वापस लेने की मांग की गई है। निर्देश में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

1. लोक सेवक की गिरफ्तारी की मंजूरी के बाद ही हो सकती है

प्राधिकारी की नियुक्ति।

2. वरिष्ठ द्वारा अनुमोदन के बाद एक गैर-लोक सेवक की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक (एसएसपी)। 3. यदि आवश्यक समझा जाए तो गिरफ्तारी एक उपयुक्त मामले में हो सकती है।

दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए;

5. डिप्टी कमिश्नर द्वारा प्रारंभिक जांच की जाएगी। एस. पी. स्तर के अधिकारी यह पता लगाने के लिए कि क्या आरोप एक मामला बनाते हैं और कि

आरोप तुच्छ या प्रेरित नहीं हैं। 6. उपर्युक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन कार्रवाई योग्य होगा।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ अवमानना के माध्यम से।

37. उपरोक्त निर्देशों का विस्तार करने से पहले, यह आवश्यक है

कुछ पहलुओं पर ध्यान देना। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों ने लंबे समय तक पीड़ा झेली है, इसलिए उन्हें समान बनाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 1989 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षात्मक भेदभाव की परिकल्पना की गई है।

38. अत्याचार अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय हैं। द.

विवादित दिशा-निर्देश सवारों को गिरफ्तार करने का अधिकार देते हैं। अत्याचार के मामलों में किसी आरोपी को उच्च अधिकारियों की सहमति या प्राधिकरण की नियुक्ति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकरण के पास जनता के संबंध में गिरफ्तारी की मंजूरी देने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है।

सेवक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" आयोग ने चिंता के साथ नोट किया है कि पुलिस और नागरिक प्रशासन दोनों द्वारा अत्याचार के मामलों से निपटने में प्रक्रियात्मक चूक की घटनाएं अक्सर होती हैं। मुकदमों की न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसलिए आयोग ने इसकी पहचान की पुलिस जाँच के दौरान आम तौर पर पाई जाने वाली खामियाँ, और

नागरिक प्रशासन निवारक/उपचार योग्य कार्रवाई कर सकता है। एन. सी. एस. सी. एस. सी./एस. टी. (पी. ओ. ए.) संशोधन अधिनियम, 2015 और 2016 के संशोधन नियमों के साथ-साथ सुधार के लिए निम्नलिखित को सही और समय पर लागू करने की सिफारिश करता हैः

" 8.6. 1 एफ. आई. आर. दर्ज करना-आयोग ने देखा है कि

कि पुलिस अक्सर प्रारंभिक जाँच का सहारा लेती है

वास्तविक एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले लिखित शिकायत प्राप्त करना। नतीजतन, एससी पीड़ितों को निर्देश मांगने का सहारा लेना पड़ता है

Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए अदालतों से।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक से अधिक अवसरों पर ऐसा किया है

पहले एफ. आई. आर. दर्ज करने पर जोर दिया। यह आयोग

इस बात पर फिर से जोर दिया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ऐसा करना चाहिए एफ. आई. आर. एस. का शीघ्र पंजीकरण लागू करें।

(जोर दिया गया)

40. विद्वान महान्यायवादी ने बताया कि न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन निर्णय में विचार किए गए आँकड़े इंगित करते हैं कि अधिनियम के तहत 9 से 10 प्रतिशत मामले झूठे पाए गए थे। वर्ष 2016 के लिए एन. सी. आर. बी. के आंकड़ों के अनुसार जालसाजी जैसे अन्य सामान्य अपराधों से संबंधित झूठे मामलों का प्रतिशत तुलनीय है, अर्थात् 11.51 प्रतिशत और अपहरण और अपहरण के लिए यह 8.85 प्रतिशत है। धारा 482 के तहत न्यायालयों द्वारा इसका ध्यान रखा जा सकता है, और यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो न्यायालय हमेशा अग्रिम जमानत देने और उपयुक्त मामलों में रद्द करने की शक्ति पर विचार कर सकता है। कम दोषसिद्धि दर के लिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता का प्रतिबिंब है न कि कानून का दुरुपयोग। गवाह शायद ही कभी दबे-कुचले वर्ग का समर्थन करने आते हैं, पक्षपाती मानसिकता जारी है,

और उन पर कई तरीकों से दबाव डाला जाता है, और शिकायतकर्ता भी मुश्किल से साहस जुटाता है।

41. जहाँ तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा स्थितियों का संबंध है, हम यह देखने के लिए मजबूर हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभी भी संघर्ष कर रहे हैं-ए. टी. एच. वी. आई. राज चौहान बनाम।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

देश के विभिन्न क्षेत्रों में समानता और नागरिक अधिकारों के प्रयोग के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सदस्य

देश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी जनजातियों के साथ भेदभाव किया जाता है।

पिछले 70 वर्षों में। हम अभी भी 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' के साथ प्रयोग कर रहे हैं। अछूतों की दुर्दशा यह है कि वे अभी भी विभिन्न नागरिक अधिकारों से वंचित हैं; गाँवों, दूरदराज के क्षेत्रों में स्थिति बदतर है जहाँ विकास के फल कम नहीं हुए हैं। उन्हें समान नागरिक अधिकार नहीं मिल सकते हैं। अब तक हम संसाधनों की कमी और उचित योजना और उदासीनता के कारण हरिजनों को सफाई के आधुनिक तरीके प्रदान नहीं कर पाए हैं। क्या वह समान आधार पर उच्च वर्ग के व्यक्ति से हाथ मिला सकता है? क्या हम मानस और मानवीय गरिमा के उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम हुए हैं और जाति के आधार पर भेदभाव को दूर करने में सक्षम हुए हैं? क्या स्वच्छता की झूठी आड़ स्थिति को बचा सकती है, ऐसी स्थिति कैसे बनी रहती है और गायब नहीं हुई है, क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? इसका उत्तर केवल आत्मा की खोज से ही मिल सकता है। हालांकि, एक बात निश्चित है कि हम इसका उन्मूलन नहीं कर पाए हैं एक वास्तविक अर्थ में अस्पृश्यता की परिकल्पना की गई है और हम दबे-कुचले वर्ग को मौलिक नागरिक अधिकार और सुविधाएँ, जीवन की मितव्ययी सुख-सुविधाएँ प्रदान करने में सक्षम नहीं हुए हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। इससे भी अधिक, उन आदिवासियों के लिए जिन्हें कुछ स्थानों पर अभी भी अलग-थलग रखा गया है क्योंकि हम खर्च करने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और जीवन के किफायती आराम भी प्रदान नहीं कर पाए हैं।

सुरक्षा के लिए काफी राशि, यह कब तक रहेगी जारी रखें। क्या उन्हें यथास्थिति में रहना है और

सभ्य समाज का मनोरंजन करना? क्या संस्कृति के संरक्षण की आड़ में वे विकास के फल से वंचित हैं, और उन्हें पारंपरिक अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है?

एक जानवर का अस्तित्व। अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। बुनियादी मानवीय गरिमा का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को सभी मामलों में समान मानव माना जाता है। एक अछूत, दलित और शोषण के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। इसका यह भी तात्पर्य है कि वे जाति के आधार पर अभिजात वर्ग की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जातिगत भेदभाव की जड़ें गहरी थीं, इसलिए इसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी, हमें वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें कोई शक नहीं कि हम

व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के कारण आंशिक रूप से सफल हुए।

44. लोगों द्वारा गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार का सार है, जैसा कि हिंज लाल तिवारी बनाम में देखा गया है। कमला देवी, (2001) 6 एससीसी 496। का अधिकार मानव गरिमा के साथ जीना जीवन के अधिकार में शामिल है जैसा कि फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम में देखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली,

प्रशासक, ए. आई. आर 1981 एस. सी. 746, ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे

निगम, एआईआर 1986 एससी 180। लैंगिक अन्याय, प्रदूषण, पर्यावरण क्षरण, कुपोषण, दलितों का सामाजिक बहिष्कार मानवाधिकारों के उल्लंघन के उदाहरण हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज v. भारत संघ, (2005) 2 एस. सी. सी. 436:

" 34. इस प्रश्न की जांच दूसरे कोण से भी की जा सकती है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में एक पुलिस अधिकारी का ज्ञान या अनुभव मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपराध से उत्पन्न होने वाले इसके संरक्षण के केवल एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन विभिन्न रूपों में होता है जो पुलिस के अलावा भी होते हैं।

क्रूरताएँ हैं-लैंगिक अन्याय, प्रदूषण, पर्यावरण क्षरण, कुपोषण, दलितों का सामाजिक बहिष्कार आदि। एक पुलिस अधिकारी केवल एक पहलू का अनुभव होने का दावा कर सकता है। यह धारा की आवश्यकता नहीं है। (जोर दिया गया)

45. गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे का अनुदान उन सह-अभियुक्तों में से एक है जिसने मुआवजे के प्रावधानों में वैधानिक अभिव्यक्ति पाई है, जिसे 1989 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध किए जाने की स्थिति में भुगतान किया जाना है। एक अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का एक तत्व है और है संविधान द्वारा समान रूप से ए. टी. एच. वी. राज चौहान बनाम के अधिकार के साथ संरक्षित।

जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का आनंद लेना। इसलिए, इसे अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक के जीवन के अधिकार का एक आवश्यक तत्व माना गया है, जैसा कि इस न्यायालय ने उमेश कुमार बनाम. आंध्र प्रदेश राज्य, (2013) 10 एस. सी. सी. 591, किशोर समरिते बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 2 एस. सी. सी. 398 और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ, (2016) 7 एस. सी. सी. 221. 1989 के अधिनियम के प्रावधान, संक्षेप में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं।

46. वे कृषि क्षेत्रों में बंधुआ या जबरन श्रम करते हैं, जिसे प्रयासों के बावजूद निरस्त नहीं किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है और विभिन्न रूपों में उनका यौन शोषण किया जाता है। हम सीवर श्रमिकों को कक्षों में जहरीली गैसों के कारण मरते हुए देखते हैं। वे मौत के जाल की तरह हैं। हम सीवर चैंबर में प्रवेश करने के लिए मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, हम उन्हें इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं और अधिकारियों/मशीनरी से संबंधित यातनापूर्ण दायित्व से बच नहीं सकते हैं, और वे अभी भी अपने नागरिक अधिकारों का आनंद लेने के मामले में समाज के भीतर भेदभाव कर रहे हैं और मानव गरिमा के साथ नहीं रह सकते हैं।

47. भारत का संविधान अनुच्छेद 14 में निहित प्रावधानों के तहत कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 (4) किसी भी विशेष को बनाने के लिए एक अपवाद बनाता है।

नागरिकों या अनुसूचित जातियों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए प्रावधान। और एसटीएस। अतिरिक्त सुरक्षा अनुच्छेद 15 (5) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा निजी शैक्षणिक संस्थानों, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त, सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के संबंध में प्रदान किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से नुकसानदेह समूहों को करना चाहिए

विशेष सुरक्षा और सहायता दी जाए ताकि उन्हें उनकी गरीबी और निम्न सामाजिक स्थिति से ऊपर उठाया जा सके जैसा कि कैलास में देखा गया है और

ओआरएस। वी. महाराष्ट्र राज्य, 2011 (1) एससीसी 793। विधायिका को ऐसे अधिकारियों को अनुच्छेद 15 (4) के तहत संरक्षित करने का प्रयास करना होगा, ताकि अन्य लोगों के लिए उपलब्ध सामान्य कानून के प्रावधानों की तुलना में उनसे अधिक कठोर प्रावधानों के साथ निपटा जा सके, जिससे असमानता पैदा होगी जो संवैधानिक रूप से अनुमेय/परिकल्पित नहीं है। यह अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानों को नकारने की कार्रवाई होगी जो संवैधानिक योजना द्वारा समर्थित नहीं हैं, बल्कि यह अनिवार्य संवैधानिक संरक्षण के खिलाफ होगी। विधायिका के लिए अनुसूचित जातियों और [2020] 2 एस. सी. आर. के सदस्यों को रखने का अधिकार नहीं है।

अनुसूचित जनजातियाँ दूसरों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में

और विशेष रूप से तथाकथित उच्च जातियों/सामान्य श्रेणी के लिए। इस प्रकार, उनके साथ अधिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए जब हमारे पास एक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में देखें। जो विधायिका वैध रूप से नहीं कर सकती है, वह व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है

अदालतें।

प्रभावी। मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अभियोजक प्रदान किए जाने हैं। पीड़ितों के पुनर्वास, गवाहों की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। 49. ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य एक वर्ग के रूप में कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकते हैं और इसका सहारा उच्च वर्ग के सदस्य नहीं लेते हैं।

जातियाँ या अभिजात वर्ग के सदस्य। झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की जाति इसका कारण है। यह मानव विफलता के कारण है न कि जाति कारक के कारण। जाति को इस तरह के कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर, पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य शायद ही पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का साहस करते हैं, बहुत कम, एक झूठी रिपोर्ट। यदि यह गलत पाया जाता है /

अप्रमाणित, यह दोषपूर्ण जांच या जाति कारक के बावजूद मानवीय विफलताओं सहित अन्य विभिन्न कारणों से हो सकता है। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो झूठे हो सकते हैं जो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आधार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के दुरुपयोग के कारण कानून को बदला नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में, Cr.PC की धारा 482 के तहत कार्यवाही में ध्यान रखा जा सकता है।

50. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय के आंकड़ों को भारत सरकार की ओर से इंगित किया गया है जो इंगित करता है कि 1989 के अधिनियम के तहत वर्ष 2016 में 47,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। यह संख्या चिंताजनक है और यह नहीं कहा जा सकता कि यह अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग के परिणाम के कारण है।

51. वास्तव में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों ने लंबे समय तक पीड़ा झेली है, इसलिए, यदि हम उन्हें उनके लिए लाभकारी सुरक्षात्मक भेदभाव प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हें बिल्कुल भी प्रतिकूल स्थिति में नहीं रख सकते हैं जो कि ए. टी. एच. वी. राज चौहान बनाम.

असमानता को बढ़ाते हुए और हमारे संविधान की भावना के खिलाफ उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह बुनियादी मानव के खिलाफ होगा। उन सभी के साथ झूठा या धोखेबाज़ व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने की गरिमा और ऐसे शिकायतकर्ता की हर शिकायत को संदेह के साथ नहीं देखा जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शी उनके पक्ष में बोलने के लिए सामने नहीं आते हैं। वे शायद ही उच्च जाति के खिलाफ बोलने का साहस जुटाते हैं, इसलिए गवाहों की सुरक्षा और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए संशोधन के माध्यम से प्रावधान किए गए हैं। सभी मनुष्य समान हैं।

उनकी कमजोरियों में भी। एससी का इलाज करने के लिए। और एसटीएस। ऐसे व्यक्तियों के रूप में जो प्रावधानों के तहत झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रवण हैं

बदला लेने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम

या अन्यथा उनके इस तरह के अपराध के अधीन होने की स्थिति में उन्हें उपलब्ध कराए गए मौद्रिक लाभ मौलिक मानव समानता के खिलाफ होंगे। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ऐसे वर्ग का कोई व्यक्ति खुद को चोट पहुँचाएगा और केवल मौद्रिक लाभ प्राप्त करने या बदला लेने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराएगा। यदि ऐसा माना जाता है, तो इसका अर्थ होगा चोट के अपमान को जोड़ना, केवल इस तथ्य से कि व्यक्ति प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकता है, वर्ग के साथ संदेह के साथ व्यवहार करने का आधार नहीं हो सकता है। यह मानवीय विफलताओं के कारण है, जाति कारक के कारण नहीं। तेजाब हमला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के यौन उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या के मामलों में मौद्रिक लाभ प्रदान किए जाते हैं।

आदि। ऐसे मामलों में तुरंत एफ़. आई. आर. दर्ज की जानी चाहिए।

52. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में अभी भी जाति व्यवस्था प्रचलित है और लोग झुग्गियों में रहते हैं, विशेष रूप से, गगनचुंबी इमारतों के नीचे, और वे ऐसी इमारतों के निवासियों की सेवा करते हैं।

53. ऐसे अधिकारियों के साथ एक सवार के साथ व्यवहार करने के लिए जो एक रिपोर्ट द्वारा दर्ज की गई हो

एस. सी./एस. टी. श्रेणी को डिप्टी कमिश्नर द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा। एस. पी., जबकि Cr.PC के तहत संज्ञेय अपराध से संबंधित शिकायत तुरंत दर्ज की जानी चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि उच्च जाति द्वारा एक रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जानी चाहिए और गिरफ्तारी तुरंत की जा सकती है, जबकि 1989 के अधिनियम के तहत किसी अपराध के मामले में, यह एक शर्त होगी। यह अनुच्छेद 15,17 और 21 में संविधान के तहत परिकल्पित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के साथ किए गए सुरक्षात्मक भेदभाव का विरोध करेगा और उन्हें असमान मानने के समान होगा, संविधान के जनादेश के अनुसार कुछ हद तक सहायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वे बराबर हैं। प्रथम दृष्टया [2020] 2 एस. सी. आर. देखने की अनुमति नहीं है।

उन्हें किसी भी तरह से नीचे। यह Cr.PC के तहत निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत और ललिता कुमारी (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत भी होगा।

54. (iii) और (iv) में दिशानिर्देश 1989 के अधिनियम की धारा 18 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए प्रतीत होते हैं। जबकि एम. पी. बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। आर. के. बलोथिया, (1995) 3 एस. सी. सी. 221। इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण है कि यदि प्रथम दृष्टया मामला 1989 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने वाला नहीं बनाया गया है, तो उस मामले में अग्रिम जमानत देने पर धारा 18 के तहत बनाया गया प्रतिबंध आकर्षित नहीं होता है। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग का उद्देश्य उपरोक्त निर्णय द्वारा ध्यान रखा जाना है। कर्तार सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया है कि

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रावधानों के दुरुपयोग के मामले में, ऊपर उल्लिखित निर्णय में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। 55. इसके अलावा जारी किए गए निर्देश (iii) और (iv) मामलों की जांच में देरी कर सकते हैं। वर्ष 2016 में नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार, समय पर सक्षम करने के लिए एक आरोप पत्र दाखिल करना होगा

अभियोजन की शुरुआत। जारी किए गए निर्देशों से अधिनियम/नियमों के तहत समय पर बनाई गई योजना में देरी होने की संभावना है।

56. लोक सेवकों के संबंध में, धारा में निहित प्रावधान 197 , Cr.PC नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अपराध के संज्ञान को प्रतिबंधित करके सुरक्षा प्रदान करें और

प्रत्येक पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत करता है और Cr.PC की धारा 2 (c) के संदर्भ में संज्ञेय अपराध की परिभाषा वह है जिसके लिए पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। 57. यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है और झूठा फंसाया जा सकता है, तो वह धारा 482 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है जैसा कि उड़ीसा राज्य बनाम में देखा गया है। देवेंद्र नाथ पाधी, (2005) 1 एस. सी. सी. 568।

58. अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक लोक सेवक की गिरफ्तारी के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति की मंजूरी के लिए उपरोक्त दिशानिर्देश जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि उस पर 1989 के अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप है। लोक सेवक को गिरफ्तार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण की अनुमति की वैधानिक रूप से परिकल्पना नहीं की गई है; यह उस क्षेत्र का अतिक्रमण है जो लोक सेवक के लिए आरक्षित है।

विधायिका। यह निर्देश विधायी रंग के जनादेश के बराबर है जो एक ऐसा क्षेत्र है जो न्यायालयों के लिए निर्धारित नहीं है।

59. यह निर्देश भेदभावपूर्ण है और कई कानूनी जटिलताओं का कारण बनेगा। किस आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी लोक सेवक को गिरफ्तार करने की अनुमति देगा? जब जाँच पूरी नहीं होती है, तो यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाना है या नहीं? क्या यह नियुक्ति के लिए उचित होगा

ऐसे मामले में केस डायरी को देखने का अधिकार जहां किसी ऐसे अपराध में अभियोजन के लिए इसकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो सकती है जो आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में हुआ। 1989 के अधिनियम के तहत हर मामले में लोक सेवक की गिरफ्तारी की मंजूरी के लिए नियुक्ति प्राधिकरण से संपर्क करने में पर्याप्त समय लगने की संभावना है। नियुक्ति प्राधिकारी को किए गए अपराध की जमीनी वास्तविकताओं को नहीं जानना चाहिए और कभी-कभी गिरफ्तारी भी करनी चाहिए।

जाँच की आगे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आवश्यक हो जाता है। अक्सर गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं की जा सकती है। अनुमोदन के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष कोई सामग्री नहीं हो सकती है। यह तय करना कि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं, प्राधिकरण की नियुक्ति का कार्य नहीं है, यह पूरी तरह से अतिरिक्त वैधानिक है। यदि नियुक्ति प्राधिकरण का मानना है कि एक लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया जाना है और अनुमोदन से इनकार कर दिया जाता है, तो क्या होगा, क्योंकि अग्रिम जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह न्यायालय के कार्यों को छीनने के समान होगा। यह तय करना कि क्या कोई अभियुक्त धारा 438 के तहत जमानत का हकदार है, यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है या धारा 439 के तहत यह अदालत का कार्य है। गिरफ्तार न करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्देश के साथ संघर्ष पैदा कर सकता है 1989 के अधिनियम के प्रावधान और वैधानिक आधार के बिना है।

60. जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कई मामलों में विसंगत स्थिति पैदा हो सकती है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी का विचार है कि चूंकि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, तो पदधारी को गिरफ्तार नहीं किया जाना है, कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक [2020] 2 एस. सी. आर. की गिरफ्तारी के लिए।

अपराधी, शायद एक लोक सेवक, यह Cr.PC के सामान्य कानून का प्रावधान नहीं है कि नियुक्ति प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। आई. पी. सी. और आई. डी. 1 के तहत गिरफ्तारी के मामले में किसी लोक सेवक को ऐसा कोई वैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि 1989 के अधिनियम के तहत मामलों में इस तरह के अधिकार को लागू करना भेदभावपूर्ण होगा। केवल आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के मामले में, कुछ अपराध किया गया प्रतीत होता है, उस मामले में, मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है और अन्यथा नहीं। यदि अधिनियम आधिकारिक निर्वहन के दायरे से बाहर है

कर्तव्य, इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

61. नियुक्ति प्राधिकारी संज्ञेय, गैर-जमानती अपराध और पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के मामले में प्राथमिकी पर नहीं बैठ सकता है; यह कार्य पुलिस अधिकारी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण की नियुक्ति जैसा कि Cr.P.C या 1989 के अधिनियम में परिकल्पना नहीं की गई है। इस प्रकार, इस सवार को इसके संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है

1989 के अधिनियम के तहत मामले हो सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है, अनुमोदन की शक्ति का प्रयोग प्राधिकारी की नियुक्ति द्वारा गिरफ्तारी पूरी तरह से अस्वीकार्य, अव्यावहारिक है, इसके अलावा यह विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण करती है और सामान्य कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल है क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

सामान्य कानून के तहत परिकल्पना की गई है।

62. यह मानते हुए कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकरण नियुक्त करने की अनुमति प्राप्त करने की अनुमति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की स्थिति और बिगड़ जाएगी। यदि उन्हें विशेष सुरक्षा नहीं दी जानी है, तो उन्हें आगे नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। शर्त के कार्यान्वयन से वे हतोत्साहित हो सकते हैं और पुलिस से संपर्क करने से भी बच सकते हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी सदस्यों पर संदेह की छाया पड़ सकती है, जिसे संवैधानिक रूप से परिकल्पित नहीं कहा जा सकता है। अन्य जातियाँ इसका दुरुपयोग कर सकती हैं

कानून के प्रावधान; यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कानून का दुरुपयोग 1989 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा होता है। यदि दिशा है प्रबल होने के लिए, वे दिन दूर नहीं हैं जब रिट याचिका दायर करनी पड़ सकती है ताकि नियुक्ति प्राधिकरण को यह विचार करने का निर्देश दिया जा सके कि क्या आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं और कारणों के बारे में। गिरफ्तारी की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित। आपराधिक जाँच में हस्तक्षेप करना नियुक्ति प्राधिकारी का कार्य नहीं है। यदि गिरफ्तारी के लिए नियुक्ति प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक है, तो इसका उद्देश्य ए. टी. एच. वी. आई. राज चौहान बनाम.

संदर्भ में: गैर-लोक सेवक के मामले में एसएसपी द्वारा गिरफ्तारी की मंजूरी: 63. अन्य बातों के साथ-साथ, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हमारी यह सुविचारित राय है कि गिरफ्तारी से पहले एसएसपी की मंजूरी की आवश्यकता ऐसे मामले में आवश्यक नहीं है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण और अधिनियम के तहत परिकल्पित सुरक्षात्मक भेदभाव के खिलाफ होगा। इसके अलावा, ऐसे कोई दिशा-निर्देश लागू नहीं हो सकते, जो विधायी हों। जब अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी करनी होगी। किसी भी अधिकारी की ईमानदारी पर संदेह किए बिना, इसे पदधारी के मधुर विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है, चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो। अनुमोदन का अर्थ यह होगा कि यह भी आदेश दिया जा सकता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना है तो जांच कैसे पूरी की जा सकती है जब किसी पदधारी की गिरफ्तारी आवश्यक है, यह समझ में नहीं आता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की मंजूरी की ऐसी शर्त को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता था, यह अधिनियम के तहत मामलों में मामले में देरी कर सकता है

1989 .

64. इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लोक सेवक को प्राधिकरण नियुक्त करके और गैर-लोक सेवक को एसएसपी की मंजूरी के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। अनुमति देने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार दर्ज किए गए कारणों पर विचार किया जाना चाहिए आगे की हिरासत। यदि मंजूरी नहीं दी गई है, तो यह कवायद नहीं की गई है। जब अपराध 1989 के अधिनियम के तहत दर्ज किया जाता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए, चाहे वह लोक सेवक हो या गैर-लोक सेवक, गिरफ्तारी पर किसी भी अतिरिक्त बंधन की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भी, क्योंकि हमने प्राधिकारी/एस. एस. पी. की नियुक्ति करके गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी है। , परिणामस्वरूप मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को दर्ज करने और जांच करने का निर्देश अमान्य हो जाता है।

65. यह निर्देश भी जारी किया गया है कि डी. एस. पी. को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत एक मामला बनाते हैं, और यह कि आरोप [2020] 2 एस. सी. आर. हैं।

तुच्छ या प्रेरित नहीं। यदि एक संज्ञेय अपराध बनाया जाता है, तो प्राथमिकी पूरी तरह से दर्ज की जानी चाहिए, और कोई प्रारंभिक जांच नहीं की जानी चाहिए जैसा कि संविधान पीठ द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) में किया गया है। प्रारंभिक जांच के लिए या एससी/एसटी के तहत दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

अधिनियम, इस प्रकार का निर्देश अनुज्ञेय नहीं है। इसके अलावा, इसे डिप्टी रैंक के व्यक्ति द्वारा संचालित करने का आदेश दिया जाता है। एस. पी. दी की संख्या। एस. पी. भारत संघ के रुख के अनुसार प्रारंभिक जांच के इस तरह के अभ्यास के लिए आवश्यक उपलब्ध नहीं है। निर्देश का मतलब यह होगा कि भले ही किसी शिकायत को संज्ञेय अपराध माना जाए, प्रारंभिक जांच होने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। यदि प्रारंभिक जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोप झूठे या प्रेरित हैं, तो ऐसे मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए कि अदालत में अंतिम रिपोर्ट कैसे दायर की जाए। दिशा (iv) अन्य कारणों से जीवित नहीं रह सकती क्योंकि यह सदस्यों को रखता है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नुकसान

प्रक्रिया के मामले में उच्च जाति के सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में स्थिति, क्योंकि बाद में ऐसी कोई प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है, इस मामले को देखते हुए अपराध दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना आवश्यक नहीं होना चाहिए।

1989 के अत्याचार अधिनियम के तहत।

66. जातिविहीन समाज का निर्माण ही अंतिम लक्ष्य है। हम इस पवित्र आशा के साथ समापन करते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा, जैसा कि संविधान निर्माताओं द्वारा अपेक्षित था, जब हमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। 1989 के अधिनियम जैसे कानून, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किसी भी आरक्षण का प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और केवल एक वर्ग का मानव सभी मामलों में समान है और कोई जाति प्रणाली या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का वर्ग मौजूद नहीं है, सभी नागरिक मुक्त हैं और संवैधानिक लक्ष्य के अनुसार समान हो जाते हैं।

67. हमें संदेह नहीं है कि निर्देश विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं और सुरक्षात्मक की अवधारणा के खिलाफ हैं।

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत दलित वर्गों के पक्ष में भेदभाव और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर भी अस्वीकार्य। नतीजतन, हम हैं

उस दिशा पर विचार किया गया नं। ((iii) और (iv) इस न्यायालय द्वारा जारी किए जाने के योग्य हैं और इसके परिणामस्वरूप वापस लिए जाने योग्य हैं।

हम उस दिशा संख्या (v) को पकड़ते हैं, वह भी गायब हो जाती है। समीक्षा याचिका को ऊपर उल्लिखित सीमा तक अनुमति दी गई है। ए. एच. वी. राज चौहान बनाम

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]5. एम. पी. और ए. एन. आर. राज्य में। वी. राम किशना बलोथिया और अन्र। , 5) 3 एस. सी. सी. 221, इस न्यायालय ने धारा 18 की वैधता को बरकरार रखा है

1989 में। इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 6. यह निस्संदेह सच है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, जो दंड संहिता के तहत अपराधों के संबंध में एक आरोपी के लिए उपलब्ध है, उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्या इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है? उक्त अधिनियम के तहत गिने गए अपराध एक अलग धारा में आते हैं।

और विशेष वर्ग। संविधान का अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से 'अस्पृश्यता' के उन्मूलन से संबंधित है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को मना करता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसलिए, धारा 3 (1) के तहत गिने जाने वाले अपराध 'अस्पृश्यता' की प्रथा से उत्पन्न होते हैं। " इस संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं -

उक्त अधिनियम, जिसमें धारा 18 के तहत विवादित प्रावधान शामिल है, जो हमारे सामने है। उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के बहिष्करण को मौजूदा सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो इस तरह के अपराधों को जन्म देते हैं, और इस आशंका के साथ कि इस तरह के अत्याचार के अपराधी अपने पीड़ितों को धमकी और डराने-धमकाने की संभावना रखते हैं और यदि अपराधियों को अग्रिम जमानत का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है तो इन अपराधियों के अभियोजन में उन्हें रोक सकते हैं या बाधा डाल सकते हैं। इस संबंध में, हम उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ

(अत्याचार निवारण) विधेयक, 1989, जब इसे संसद में पेश किया गया था। यह आसपास की परिस्थितियों को निर्धारित करता है

उक्त अधिनियम का अधिनियमन और उस बुराई की ओर इशारा करता है जिसे क़ानून सुधारना चाहता है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में, यह है

कहा गयाः

" सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति कमजोर बनी हुई है। उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। उन्हें विभिन्न अपराधों, अपमान, अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई क्रूर घटनाओं में उनके जीवन और संपत्ति से वंचित किया गया है। उनके खिलाफ विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में गंभीर अपराध किए जाते हैं।

कारणों से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. ..... जब वे अपने अधिकारों का दावा करते हैं और अपने खिलाफ अस्पृश्यता की प्रथाओं का विरोध करते हैं या वैधानिक न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं या किसी भी बंधुआ और जबरन श्रम करने से इनकार करते हैं, तो निहित स्वार्थ उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का प्रयास करते हैं

या उनकी महिलाओं का सम्मान, वे प्रबल और पराक्रमी लोगों के लिए चिड़चिड़े हो जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा करने और खेती करने पर भी नाराजगी है और अक्सर ये लोग हमलों का शिकार हो जाते हैं

निहित स्वार्थों के लिए। हाल ही में, कुछ अत्याचार करने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है जैसे कि

अनुसूचित जाति के लोग मानव मल और असहाय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हमलों और सामूहिक हत्याओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अखाद्य पदार्थ खाते हैं। एक विशेष कानून

इसलिए गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अपराधों की जांच और उन्हें रोकने के लिए,

यह आवश्यक हो जाता है। उपरोक्त कथन उन सामाजिक स्थितियों का चित्रमय वर्णन करता है जिन्होंने उक्त विधान को प्रेरित किया। यह है। उपरोक्त उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है कि जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य

अपने अधिकारों का दावा करते हैं और वैधानिक संरक्षण, निहित स्वार्थों की मांग करते हैं

उन्हें डराने की कोशिश करें। इन परिस्थितियों में, यदि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो इस तरह के इनकार को अनुचित नहीं माना जा सकता है।

या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये अपराध अपने आप में एक अलग वर्ग बनाते हैं और उनकी तुलना अन्य अपराधों से नहीं की जा सकती है।

जिन अधिकारों का प्रत्येक मनुष्य हकदार है; जिन लोगों को सदियों से इस अधिकार से वंचित किया गया है, वे अधिक हैं। हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि दंड संहिता की धारा 438 प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। सबसे पहले, पुराने आपराधिक मामले में धारा 438 के समान कोई प्रावधान नहीं था।

प्रक्रिया संहिता। विधि आयोग ने अपनी 41 वीं रिपोर्ट में ए. टी. एच. वी. आई. राज चौहान बनाम.

भारत और अन्य का संघ

[अरुण मिश्रा, जे।]

अग्रिम अनुदान के लिए एक प्रावधान की सिफारिश की गई जमानत। यह देखा गयाः

" हम इस बात से सहमत हैं कि यह एक उपयोगी लाभ होगा। हालांकि हमें यह जोड़ना होगा कि यह बहुत ही असाधारण मामलों में है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस सिफारिश के आलोक में, धारा 438 को पहली बार 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया था। सतर्क लोगों की ओर देखें

विधि आयोग की सिफारिश पर अग्रिम जमानत देने की शक्ति केवल सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को प्रदान की जाती है। इसके अलावा, अग्रिम जमानत को अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से संविधान के लागू होने के लंबे समय बाद प्रदान किया गया एक वैधानिक अधिकार है। यह नहीं हो सकता।

इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य घटक माना जाता है। और अपराधों की एक निश्चित विशेष श्रेणी में इसके गैर-आवेदन को उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता है

अनुच्छेद 21.

9. बेशक, वर्तमान मामले के तहत गिने गए अपराध आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत किए गए अपराधों से बहुत अलग हैं। हालांकि, 'अस्पृश्यता' के अभ्यास से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और

सामाजिक दृष्टिकोण जो इस तरह के अपराधों का कारण बनता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ, वहाँ है

इस आशंका के लिए औचित्य कि यदि अग्रिम का लाभ

जमानत उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है जिन पर आरोप लगाया जाता है

इस तरह के अपराधों को करने पर, अपने पीड़ितों को आतंकित करने और उचित जांच को रोकने के लिए अग्रिम जमानत पर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की पूरी संभावना है। यह इस संदर्भ में है कि खंड

18 उक्त अधिनियम में शामिल किया गया है। इस पर विचार नहीं किया जा सकता

जैसा कि किसी भी तरह से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

10. हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि जबकि धारा 438 दंड संहिता के तहत गंभीर अपराधों के लिए उपलब्ध है, यह उक्त अधिनियम के तहत "छोटे अपराधों" के लिए भी उपलब्ध नहीं है। इस शिकायत को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जिन अपराधों की गणना की गई है

धारा 3 ऐसे अपराध हैं जो समाज की नजर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को बदनाम करते हैं। और उन्हें गरिमा और आत्मसम्मान का जीवन जीने से रोकें। इस तरह के

अपराध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अपमानित करने और अपने अधीन करने के लिए किए जाते हैं, ताकि [2020] 2 एस. सी. आर. को रखा जा सके।

वे दासता की स्थिति में हैं। ये अपराध एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और दंड संहिता के तहत अपराधों के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। 11. जय के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 का एक समान दृष्टिकोण लिया गया है।

सिंह बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1993 राज 177 और हम सम्मानपूर्वक

इसके निष्कर्षों से सहमत हैं।

6. विलास पांडुरंग पवार और अन्न में यह न्यायालय। वी. राष्ट्र और ओआरएस का राज्य। , (2012) 8 एस. सी. सी. 795 ने इस प्रकार देखा हैः

" 10. संहिता की धारा 438 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 का दायरा ऐसा है कि यह अनुदान में एक विशिष्ट बाधा पैदा करता है।

अग्रिम जमानत। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध दर्ज किया जाता है, तो कोई भी अदालत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि उसे प्रथम दृष्टया यह पता न चले कि ऐसा अपराध नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, साक्ष्य और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री की सराहना की गुंजाइश सीमित है। अदालत से इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं की जाती है अभिलेख पर साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण में। जब उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिनियम में कोई प्रावधान अधिनियमित किया गया है जो

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और संहिता की धारा 438 के तहत जमानत देने पर रोक लगा दी गई है, साक्ष्य पर विस्तृत चर्चा करके विशेष अधिनियम के प्रावधान को आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

7. शकुंतला देवी बनाम में यह न्यायालय। बलजिंदर सिंह, (2014) 15 521, ने इस प्रकार कहा हैः

" 4. उच्च न्यायालय ने विवादित मामले में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। आदेश दें कि प्रत्यर्थी के खिलाफ उपरोक्त अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है और अग्रिम जमानत दी गई है, जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के विपरीत है।

साथ ही विलास पांडुरंग में इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय पवार मामला (2012) 8 एस. सी. सी. 795। इसलिए, बिना प्रवेश किए

प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण, हम अलग करते हैं

जमानत देने वाला उच्च न्यायालय का विवादित आदेश उत्तरदाता "।

8. धारा 18 ए में निहित प्रावधानों के संबंध में, यह पर्याप्त है कि पृथ्वी राज चौहान बनाम के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक जांच के संबंध में।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

एफ. आई. आर., हम पहले ही डॉ. सुभाष काशीनाथ के मामले (उपरोक्त) में जारी सामान्य निर्देशों (iii) और (iv) को याद कर चुके हैं। प्रारंभिक जांच है

ललिता कुमारी बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार, (2014) 2 एस. सी. सी. 1, ठीक रहेगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 1.10.2019 और संशोधित पर समीक्षा याचिकाओं में पारित आदेश में समझाया गया है।

धारा 18 ए के प्रावधानों की व्याख्या तदनुसार की जानी चाहिए।

9. धारा 18 ए (आई) को काशीनाथ (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के कारण जोड़ा गया था, जिसने इसे आवश्यक बना दिया था -

लोक सेवक के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करना

और अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मामले में एसएसपी। इस न्यायालय ने समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) पर उस निर्देश को भी याद किया है। 2018 का No.228 1.10.2019 पर तय किया गया। इस प्रकार, धारा 18 ए में बनाए गए प्रावधानों को अकादमिक उपयोग के लिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उन्हें डॉ. सुभाष काशीनाथ (उपरोक्त) में जारी किए गए जनादेश का ध्यान रखने के लिए अधिनियमित किया गया था जो अब प्रचलित नहीं है। अग्रिम जमानत के संबंध में अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान पहले से ही थे। 10. धारा 438 Cr.PC के प्रावधानों के लागू होने के संबंध में, यह 1989 के अधिनियम के तहत मामलों पर लागू नहीं होगा। तथापि, यदि शिकायत 1989 के अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाती है, तो धारा 18 और 18 ए (आई) द्वारा बनाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा। हमने समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय लेते समय इस पहलू को स्पष्ट किया है।

11. अदालत, असाधारण मामलों में, धारा 482 Cr.PC के तहत मामलों को रद्द करने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकती है ताकि निपटाये गए मापदंडों पर प्रावधानों के दुरुपयोग को रोका जा सके, जैसा कि समीक्षा का निर्णय लेते समय पहले ही देखा जा चुका है।

याचिकाएँ। कानूनी स्थिति स्पष्ट है, और इसके विपरीत कोई तर्क नहीं उठाया गया है।

12. प्रावधानों के लिए चुनौती को अकादमिक बना दिया गया है। उपरोक्त स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाओं का निपटारा करते हैं।

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. मैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा प्रस्तावित फैसले के साथ-साथ इसके निष्कर्षों से सहमत हूं कि अनुसूचित जाति को चुनौती

जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन)

निर्णय [2020] 2 एस. सी. आर. में प्रस्तावित योग्यताओं के साथ अधिनियम, 2018 विफल होना चाहिए।

अग्रिम देने में न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के संबंध में

ऐसे मामलों में जमानत जहां प्रथम दृष्टया अपराध नहीं माना जाता है। हालाँकि, मैं अपनी राय के साथ निर्णय को पूरक बनाऊंगा।

2. भारत के संविधान को विभिन्न रूपों में गणराज्य के शासन के चार्टर के रूप में वर्णित किया गया है, जो राज्य की शक्तियों के विभिन्न अभिव्यक्तियों में अविभाज्य स्वतंत्रताओं और संघ और उसके घटक राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को सीमित करने वाले एक दस्तावेज के रूप में वर्णित है। यह अधिक हैः यह लोगों के बीच एक समझौता भी है, उन संबंधों के बारे में जो वे एक-दूसरे को गारंटी देते हैं (स्वतंत्रता की गारंटी के अलावा)।

राज्य की तुलना में) जाति और सांप्रदायिक विभाजन के साथ एक समाज क्या था। यही कारण है कि पूर्व आश्वासन है कि गणराज्य होगा जो अपने लोगों को स्वतंत्रता, गरिमा, स्थिति की समानता और अवसर और भाईचारे की गारंटी देता है।

3. यह भारत का विचार है-जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म और अन्य बातों की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए एकता का वादा।

विभाजन जो भाग III चार मुख्य प्रावधानों में व्यक्त करता हैः अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। हमारे राष्ट्र की चेतना और राजनीति की योजना में बंधुत्व का विचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो इस न्यायालय के संवैधानिक विमर्श में कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है। प्रस्तावना द्वारा आश्वस्त बंधुत्व केवल उन समुदायों के बीच एक अनुष्ठानिक हाथ मिलाने या सौहार्द की घोषणा नहीं है जो विविध हैं और जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर कब्जा कर लिया हैः यह कहीं अधिक है। यह विचार मिलता है

अनुच्छेद 15 में अभिव्यक्ति। 1 वह प्रावधान, शायद अनुच्छेद से भी अधिक

14 , भारतीय समाज के लिए विशिष्ट भेदभाव और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को प्रतिबंधित करके समानता की अवधारणा को सामने लाता है। इस केंद्र में 1 अनुच्छेद 15 के प्रासंगिक भागों को नीचे निकाला गया हैः 15. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से कोई भी

(2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा।

को

((क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच; या

(ख) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधि से या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया जाता है।

(3) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

महिलाओं और बच्चों के लिए "पृथ्वी राज चौहान बनाम।

भारत और अन्य का संघ [एस. रवींद्र भाट, जे.]

विचार यह है कि जाति की पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी लोगों को कुछ सुविधाओं, सेवाओं और वस्तुओं तक पहुंच होनी चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं।

व्यक्तिगत। अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गारंटी है। तत्काल ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां अनुच्छेद 15 (1) राज्य को (अनुच्छेद 12 के अनुसार, अपनी सभी विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ) निषिद्ध आधारों (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग (यानी लिंग), जन्म स्थान या उनमें से किसी भी) पर भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है, वहीं अनुच्छेद 15 (2) एक व्यापक निषेधाज्ञा हैः यह दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों या सार्वजनिक रेस्तरां (अनुच्छेद 15 (2) (ए)) तक पहुंच के संबंध में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी भेदभाव या अधीनता को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 (2) (बी) किसी को भी किसी भी विकलांगता के अधीन करने पर प्रतिबंध लगाता है।

कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों के उपयोग के संबंध में निषिद्ध आधार (यानी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव) जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए गए हैं या सामान्य के उपयोग के लिए समर्पित हैं।

सार्वजनिक "।

अफसोस की बात है कि काफी हद तक अविकसित था। मेरी राय में, तीनों-स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता या बंधुत्व के बिना, कालानुक्रमिक होगा-जैसा कि वर्तमान में ज्ञात अवधारणा को हर तरह से बराबर के बीच समानता तक सीमित कर दिया जाएगा। संविधान की भव्य दृष्टि। इसी तरह, समानता या बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता, मौजूदा असमानताओं को बनाए रखने में अच्छी तरह से परिणाम दे सकती है और इससे भी बदतर, समाज की सबसे बुनियादी प्रथाओं में लिप्त होने का लाइसेंस हो सकता है। यह भाईचारा है, जो भाग III के प्रावधानों के माध्यम से मर्मस्पर्शी रूप से अंतर्निहित है, जो सच्ची समानता का आश्वासन देता है, जहां राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करता है, सभी को समान स्वतंत्रता के साथ विकास और समृद्धि के लाभों का आश्वासन देता है, और इससे भी अधिक, जो गारंटी देता है कि प्रत्येक नागरिक प्रत्येक दूसरे नागरिक के साथ समान व्यवहार करता है।

5. जब संविधान निर्माताओं ने अपना कठिन कार्य शुरू किया, तो उनके सामने एक दुर्जेय कर्तव्य और एक अद्भुत अवसर था: भारत के विचार के खाके के साथ, कई विभाजित संप्रभु राज्यों और शहरी राज्यों में से एक राष्ट्र का निर्माण करना। उन्होंने शासन के एक सामान्य चार्टर और लोगों के लिए समान रूप से एक चार्टर की कल्पना की थी। इस संदर्भ में बंधुत्व की अवधारणा का स्थान न तो एक दुर्घटना थी, न ही बंधुत्व की पश्चिमी धारणा का एक आदर्श अनुकरण था, जो फ्रांसीसी और अमेरिकी संविधानों और स्वतंत्रता के चार्टर में दृष्टि पाता है। यह तीव्र असमानताओं से ग्रस्त समाज का एक अनूठा और मार्मिक अनुस्मारक था: विशेष रूप से, अपने उग्र रूप में जातिगत भेदभाव की प्रथा, जहां समाज द्वारा लोगों के एक बड़े समूह की आवश्यक मानवता को अस्वीकार कर दिया गया था-यानी अस्पृश्यता।

6. समाज को इन सहस्राब्दी प्रथाओं से मुक्त करने के संकल्प की आलोचना की गई, जिसमें मानवता के एक बड़े वर्ग को लचीले सामाजिक बाधाओं को पैदा करने वाले सबसे छोटे व्यवसायों के शाश्वत बंधन में डाल दिया गया।

कई ऋषियों और संतों द्वारा। उदाहरण के लिए, महान संत कवि कबीर ने अपनी रचना में टिप्पणी की:

" यदि आपको लगता है कि निर्माता ने जातियों को अलग किया है:

जन्म कर्मों के लिए इन दंडों के अनुसार होता है।

शूद्र के रूप में जन्म लेते हो, शूद्र के रूप में मरते हो।

यह केवल इस भ्रम की दुनिया में है कि आप पवित्र धागे को ग्रहण करते हैं।

यदि ब्राह्मण से जन्म आपको ब्राह्मण बनाता है,

तुम दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आए?

अगर किसी तुर्क का जन्म आपको तुर्क बनाता है,

गर्भ में आपका खतना क्यों नहीं किया गया?

सेठ कबीर, परिवार, जाति, धर्म और राष्ट्र का त्याग करें।

और एक होकर जिएँ।

7. कई अन्य लोग थे जिन्होंने बात की, विरोध किया या बात की।

समाज के सबसे कमजोर और कमजोर वर्गों के जातिगत उत्पीड़न के कारण सामाजिक असमानता की घातक पकड़ के खिलाफ। उदाहरण के लिए, गुरु नानक ने कहा 2 2 गुरु ग्रंथ साहब पी।

83 प्रथवी राज चौहान बनाम। भारत और अन्य का संघ [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" जाति और वंशवादी गर्व निंदनीय धारणाएँ हैं,

एक ही स्वामी सभी अस्तित्व को आश्रय देता है।

जो कोई खुद से श्रेष्ठता का घमंड करता है, वह रुक जाता है

निराश हो जाएँ। सेठ नानकः

श्रेष्ठता भगवान द्वारा निर्धारित की जाएगी "

गुरु ग्रंथ साहब यह भी कहते हैं कि

" सभी प्राणी महान हैं, कोई कम नहीं।

एक एकल निर्माता ने सभी जहाजों को बनाया है;

तीनों लोकों में एक ही प्रकाश प्रकट होता है।

8. संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से "बंधुत्व" अभिव्यक्ति नहीं थी; इसे बाद में डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति द्वारा जोड़ा गया था। 21 फरवरी, 1948 को संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि मसौदा समिति ने प्रस्तावना में बंधुत्व के बारे में एक खंड जोड़ा था, भले ही वह था

उद्देश्य प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि "भारत में सहमति और सद्भावना की आवश्यकता कभी भी इससे अधिक नहीं थी

अब, और यह कि नए संविधान के इस विशेष उद्देश्य पर प्रस्तावना "3 में विशेष उल्लेख करके जोर दिया जाना चाहिए। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना में "बंधुत्व" शब्द जोड़ने के लिए डॉ. अम्बेडकर के प्रति आभार व्यक्त किया। आचार्य कृपलानी

17 अक्टूबर को अपने भाषण में इस समझ पर भी जोर दिया,

1949 :

" फिर से, मैं बंधुत्व के महान सिद्धांत पर आता हूं, जो है

लोकतंत्र के साथ गठबंधन किया। इसका अर्थ है कि हम सभी एक ही ईश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि धार्मिक लोग कहेंगे, लेकिन जैसा कि रहस्यवादी कहेंगे, हम सभी में एक जीवन धड़क रहा है, या जैसा कि बाइबल कहती है, "हम एक दूसरे के हैं"। नहीं हो सकता है।

इसके बिना बंधुत्व "।

9. इस अदालत ने भी बंधुत्व को एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है और उस पर जोर दिया है जो पूरे समाज को रोशन करता है।

संविधान। न्यायमूर्ति थॉममेन ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में यह कहाः

3 बी. शिव रावः भारत के संविधान का प्रारूपण खंड III, पृष्ठ 510 (1968) 4 1992 पूरक (3) एस. सी. आर. 454 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

20] 2 एस सी आर।

" संविधान निर्माता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से पूरी तरह अवगत थे

जनजातियाँ। उनके लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व केवल एक सपना है; एक आदर्श जिसकी कानून द्वारा गारंटी दी गई है, लेकिन पहुँचने के लिए बहुत दूर है; स्पर्श करने के लिए बहुत भ्रमपूर्ण है। ये पिछड़े लोग और असहायता के समान पदों पर बैठे अन्य लोग संविधान के पसंदीदा बच्चे हैं। यह उनके लिए है कि समानता के अंत को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। उन लोगों को अनुमति देने के लिए जो विशेष रूप से संरक्षित होने का इरादा नहीं रखते हैं

आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करना संरक्षण को कमजोर करना और संवैधानिक उद्देश्य को पराजित करना है।

10. रघुनाथराव गणपतराव बनाम। भारत संघ 3 यह न्यायालय

आयोजितः

" हमारी सुविचारित राय में यह तर्क गलत है और वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों में से एक व्यक्ति की गरिमा और एकता और एकता का आश्वासन देने वाली बंधुत्व है।

राष्ट्र की अखंडता '। डॉ. अम्बेडकर द्वारा 'बंधुत्व' शब्द के लिए दी गई व्याख्या का हवाला देना प्रासंगिक होगा। कि 'बंधुत्व का
अर्थ है सभी भारतीयों में समान भाईचारे की भावना'। हमारे जैसे देश में क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता और भाषावाद की कई विघटनकारी ताकतों के साथ, इस बात पर जोर देना और फिर से जोर देना आवश्यक है कि भारत की एकता और अखंडता को केवल भाईचारे की भावना से ही संरक्षित किया जा सकता है। भारत की एक समान नागरिकता है और प्रत्येक नागरिक को यह महसूस करना चाहिए कि वह किसी भी आधार पर पहले भारतीय है। इस दृष्टिकोण से, समानता लाने के किसी भी उपाय का स्वागत किया जाना चाहिए।

11. इसी तरह, नंदिनी सुंदर बनाम में अदालत। छत्तीसगढ़ राज्य ने फिर से इस पहलू पर टिप्पणी की और कहा कि संविधान स्वयं, किसी भी अनिश्चित शब्दों में, यह माँग करता है कि राज्य

बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए लगातार और निरंतर प्रयास करेंगे

सभी नागरिकों के बीच इस तरह से कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा की जाए, पोषण किया जाए और बढ़ावा दिया जाए।

12. बंधुत्व के इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए तीन प्रावधानों-अनुच्छेद 15,17 और 24 को शामिल किया गया था। हालांकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और हानिकारक प्रथाओं के अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। 5 1993 (1) एससीआर 480

6 2011 (7) एस. सी. सी. 457 पृथ्वी राज चौहान बनाम। भारत और अन्य का संघ [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इसके साथ जुड़े संविधान में संसद और विधानसभाओं से अपेक्षा की गई थी कि वे इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रभावी उपाय लागू करें, साथ ही अन्य सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, (लेकिन फिर भी विषाक्त) जातिगत भेदभाव के रूप। इसलिए, मेरी राय में, बंधुत्व हमारी स्वतंत्रता के वादे का उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है जितना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसद द्वारा पहला प्रयास अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का अधिनियमन था। अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि जहां कोई भी निषिद्ध प्रथा "अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में की जाती है", न्यायालय यह मान लेगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि ऐसा कार्य किया गया था।

"अस्पृश्यता" के आधार पर। इसका तात्पर्य यह था कि सबूत का भार अभियुक्त पर है न कि अभियोजन पक्ष पर। इसके बाद नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 आया। "इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करने के लिए-" "अस्पृश्यता" "के उपदेश और अभ्यास के लिए सजा निर्धारित करने का भी प्रावधान किया गया।" अस्पृश्यता से जुड़ी सामाजिक प्रथाओं का प्रवर्तन और

अक्षमताओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और दंड का विषय बना दिया गया। लगभग 35 वर्षों के अनुभव के बाद, यह महसूस किया गया कि 1955 के अधिनियम (जिसे 1976 में संशोधित किया गया था) ने सामाजिक प्रथाओं को पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान नहीं किया, जो निर्बाध रूप से और व्यापक तरीके से सदस्यों के साथ व्यवहार करते रहे। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों को सबसे भेदभावपूर्ण तरीके से, ज्यादातर मामलों में, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर कलंकित करना, वस्तुतः उन्हें आवश्यक मानवता से वंचित करना, जिसके समाज के सभी सदस्य हकदार हैं।

13. यह उन अधिकारों के बीच की खाई को दूर करने के लिए था जिसकी संविधान ने सभी लोगों को, विशेष रूप से उन लोगों को, जो बहिष्कार और भेदभाव का शिकार बने रहे, गारंटी दी थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (इसके बाद "अधिनियम") लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत नियम 1995 में सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए थे।

अनुसूची जाति और जनजाति, ऐसे अपराधों के मुकदमे के लिए और ऐसे अपराधों के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए और उनसे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान करना। संसद में पेश किए जाने पर विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद वे असुरक्षित बने रहे। उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है और विभिन्न अपराधों, अपमान, अपमान और उत्पीड़न के अधीन किया जाता है। उन्हें कई क्रूर घटनाओं में अपने जीवन और संपत्ति से वंचित किया गया है। उनके खिलाफ विभिन्न [2020] 2 एस. सी. आर. के लिए गंभीर अत्याचार किए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारण। यह अधिनियम, पहली बार, 'अत्याचार' की रूपरेखा को नीचे रखता है ताकि उन कई तरीकों को शामिल किया जा सके जिनके माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सदियों से अपमानित किया गया है, क्रूरता से उत्पीड़ित किया गया है, अपमानित किया गया है, उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित किया गया है और सबसे मामूली काम करने के लिए निर्वासित किया गया है।

14. अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम पर रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के खिलाफ कड़े दंडात्मक उपायों, अत्याचारों को लागू करने के बावजूद

जारी रखा; यहां तक कि कानून प्रवर्तन तंत्र ने भी ऐसे अपराधों की जांच और अभियोजन में अभावपूर्ण दृष्टिकोण दिखाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, इन समुदायों के सदस्यों को कलंकित करने वाले विभिन्न प्रकार के भेदभाव और प्रथाएं जारी रहीं।

संसद ने भी 2015 में अधिनियम में एक संशोधन लागू किया, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों द्वारा सामाजिक रूप से घृणित प्रथाओं के उदाहरणों के आलोक में इसके प्रावधानों को मजबूत किया गया। इस पृष्ठभूमि में, इस अदालत ने दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान बनाम में निर्णय में कहा। भारत संघ जोः

" मामलों की लगातार बढ़ती संख्या भी यह दिखाने का एक संकेत है कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करने में अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से विफलता है। एन. एच. आर. सी. रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने प्रभावी होने के लिए इस न्यायालय से एक आदेश की मांग की।

अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन।

12. हमने अभिलेख पर सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है और हमारी राय है कि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से विफलता हुई है। जिस प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ अधिनियम बनाया गया था, वह अधिकारियों के उदासीन रवैये से पराजित हो जाता है। यह सच है कि राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं जैसा कि भारत संघ के वकील द्वारा तर्क दिया गया है। साथ ही, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिनियम की धारा 21 (4) केंद्र द्वारा किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट प्रदान करती है।

प्रभावी के लिए सरकार और राज्य सरकारें

7 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित (यहाँ पहुँचा गयाः //एन. आर. सी. ठीक है। में/प्रकाशनों/अन्य-प्रकाशन 15 दिसंबर, 2019 को 08 बजेः 27 घंटे)

8 (2017) 2 एस. सी. सी. 432 पृथ्वी राज चौहान बनाम। भारत और अन्य का संघ [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कार्यान्वयन

संसद के समक्ष रखे जाने वाले अधिनियम का

हर साल। सभी के लिए समानता का संवैधानिक लक्ष्य

अभिलेख पर प्रचुर मात्रा में सामग्री साबित करती है कि अधिकारियों ने संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए दोषी हैं

एक्ट करें। अनुसूचित जातियों के सदस्यों की पीड़ा और

अनुसूचित जनजातियाँ बेरोकटोक जारी हैं। हम संतुष्ट हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को होना चाहिए

अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया और हम ऐसा करें।

15. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य

& ओरसो, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि

दंड प्रक्रिया संहिता (अधिनियम की धारा 18 द्वारा) के अग्रिम जमानत प्रावधान जमानत देने के लिए एक पूर्ण बाधा का गठन नहीं करते थे, जहां अदालत के लिए यह स्पष्ट था कि अत्याचार या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप झूठे थे। अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि लोक सेवकों को नियुक्ति प्राधिकारी (ऐसे लोक सेवक) द्वारा अनुमोदन के बाद और अन्य मामलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमोदन के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यह भी निर्देश दिया गया कि शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद ही अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इन निर्देशों को अधिनियम की भावना के विपरीत देखा गया और सार्वजनिक क्षेत्र में काफी टिप्पणी प्राप्त हुई; भारत संघ ने भी अपनी समीक्षा के लिए इस अदालत का रुख किया। समीक्षा कार्यवाही में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, भारत संघ बनाम। महाराष्ट्र राज्य ने उन निर्देशों को वापस ले लिया और खारिज कर दिया।

16. इस बीच, संसद ने संशोधन को लागू किया

2018(2019 के अधिनियम संख्या 27 द्वारा), जो चुनौती का विषय है।

9 2018 (4) एससीसी 454

10 2019 (13) स्केल 280 1 1 संशोधन का संचारी भाग, एक संक्षिप्त भाग, इस प्रकार हैः 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी -

अर्थात्: " 18ए.

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए-(क) किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) जाँच अधिकारी को, यदि आवश्यक हो, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके खिलाफ अपराध करने का आरोप है। इस अधिनियम के तहत बनाया गया है और इसके तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया नहीं है

यह अधिनियम या संहिता लागू होगी।

(2) संहिता की धारा 438 के प्रावधान किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश या निर्देश के बावजूद इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे। .

इन कार्यवाही में। संसद का स्पष्ट इरादा सुभाष काशीनाथ महाजन में इस अदालत की घोषणा के प्रभाव को पूर्ववत करना था। (ऊपर)। संशोधन के प्रावधान स्पष्ट रूप से सुभाष काशीनाथ महाजन के निर्देशों को दरकिनार करते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रारंभिक जांच

संबंधित पुलिस उपाधीक्षक द्वारा सात दिनों के भीतर यह पता लगाने के लिए कि क्या आरोप अधिनियम के तहत एक मामला बनाते हैं, और उचित मामलों में गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमोदन के बाद ही की जा सकती है। संसद का उद्देश्य इस चिंता को दूर करना था कि इससे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) के पंजीकरण में देरी होगी और अधिनियम के प्रावधानों के सख्त प्रवर्तन में बाधा आएगी।

17. न्यायमूर्ति मिश्रा के निर्णय में अधिकांश चर्चा का वर्णन किया गया है और उस तर्क को दोहराया गया है जिसके कारण वापस बुलाया गया और समीक्षा की गई। सुभाष काशीनाथ महाजन (ऊपर) में निर्णय; मैं सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूँ

उन्हें। मैं केवल इतना जोड़ना चाहूंगा कि अधिनियम के प्रावधानों में कोई भी हस्तक्षेप, विशेष रूप से प्रारंभिक जांच को छोड़कर संशोधनों के संबंध में, या ऐसे प्रावधान जो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी लोक सेवकों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिबंध को हटा देते हैं, एक सकारात्मक कदम नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी विभिन्न रिपोर्ट, सिफारिशें और आधिकारिक आंकड़े एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 में अपराध के मामले 40401 दर्ज किए गए थे; 2015 में अपराध के मामले 38670 दर्ज किए गए थे और 2016 में अपराध के मामले 40801 दर्ज किए गए थे। उक्त 2016 की रिपोर्ट के एक विश्लेषण के अनुसार 1,42,2799 अपराध हुए हैं।

2006 और 2016 के बीच अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ 81,332 अपराध दर्ज किए गए।

12 एचटीटीपीः //एन. सी. आर. बी. गव. में/स्टेट प्रकाशन/सी. आई. आई./सी. आई. आई. 2016/पी. डी. एफ. एस./तालिका% 207A.1। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के सदस्यों के खिलाफ अपराध से संबंधित आंकड़े वाली पीडीएफ 13 13 इंडियाजपेंडः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. भारत खर्च करें। com/एक दशक से अधिक-अपराध-दर-दलितों के खिलाफ-गुलाब-746-746/PRATHVI राज चौहान बनाम।

भारत और अन्य का संघ [एस. रवींद्र भाट, जे.]

घरों के पास या ऐसे समुदायों के सदस्यों के पड़ोस में मलमूत्र और कई अन्य प्रकार के अपमान, जिनके अधीन ऐसे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य होते हैं। ये सब

विचार याचिकाकर्ताओं की इस चिंता से कहीं अधिक हैं कि निर्दोष व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना जांच और कानूनी कार्यवाही की मनमानी प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा। अधिनियम के तहत अपराध करने के अभियुक्तों के लिए सभी परिचर सुरक्षा उपायों के साथ मुकदमे का अधिकार उपलब्ध है; वे संशोधन के अधिनियमन द्वारा अपरिवर्तित रहते हैं।

19. जहाँ तक धारा 18 ए और अग्रिम जमानत के प्रावधान का संबंध है, न्यायाधीश मिश्रा के फैसले में कहा गया है कि जिन मामलों में शिकायत में गिरफ्तारी के लिए कोई प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद नहीं है, अदालत के पास गिरफ्तारी से पहले जमानत का निर्देश देने की अंतर्निहित शक्ति है।

20. मैं केवल इस अवलोकन के साथ एक चेतावनी जोड़ूंगा और इस बात पर जोर दूंगा कि गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करने वाले किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय

न्यायालय को दो हितों को संतुलित करना होगाः यानी कि शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाता है कि वह दंड प्रक्रिया की धारा 438 के तहत अधिकार क्षेत्र में परिवर्तित हो जाए। प्रक्रिया संहिता, लेकिन यह कि इसका उपयोग संयम से किया जाता है और ऐसे आदेश बहुत ही असाधारण मामलों में दिए जाते हैं जहां कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं किया जाता है

एफ. आई. आर. में दिखाया गया है, और आगे यह भी कि यदि ऐसे आदेश उन वर्गों के मामलों में नहीं दिए जाते हैं, तो परिणाम अनिवार्य रूप से न्याय की विफलता या कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मैं इस तरह की कठोर शर्तों को, अन्यथा जमानत के दर्शन के विपरीत, बिल्कुल आवश्यक मानता हूं, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की शक्ति का उदार उपयोग संसद के इरादे को विफल कर देगा।

जातिविहीन समाज की गंभीरता और समर्पण, सपना और आदर्श केवल एक सपना, एक मरीचिका ही रह जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का हाशिए पर रहना एक स्थायी बहिष्कार है और यह आधारित है लगभग पूरी तरह से जाति पहचान पर। यह एक खंडित समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए है, जो संविधान के उन प्रावधानों को व्यक्त करता है जो प्रभावी होते हैं -

प्रस्तावना में संदर्भित बंधुत्व या बंदुत्व का विचार और अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं। ये यह सुनिश्चित करने के सामाजिक-बल्कि सामूहिक संकल्प को रेखांकित करते हैं कि सभी मनुष्यों के साथ मनुष्य के रूप में व्यवहार किया जाए, कि उनकी जन्मजात प्रतिभा को समान अवसरों के माध्यम से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए और उनमें से प्रत्येक अपने सपनों का पीछा करने में निडर हो। हम में से प्रत्येक को रोजमर्रा की जिंदगी में जिस सवाल का जवाब देना है, वह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

क्या जाति पहचान के आधार पर बहिष्कार की मौजूदा स्थिति को लोकतंत्र में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है जो समानता और कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है? यदि हाँ, तो कब तक? और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वर्गों के बीच भाईचारे की इस भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है।

(बंधुत्व की) अवधारणा को एक अनुष्ठान की औपचारिकता, पहचान पर प्रत्येक की "अन्यता" की एक मौन स्वीकृति तक कम किए बिना समुदाय। 22. मेरी राय है कि ए. बी. ओ. टिप्पणियों के आलोक में और उनके अधीन, याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए।

याचिका

ओं का निपटारा किया गया

दिव्या पांडे